न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, बिजनौर
सत्र वाद संख्या 562 / 2015
सरकार बनाम सद्दाम आदि

29–08–2019

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 145–ख पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है।

प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम के द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 145–ख इस आशय का दिया गया कि उपरोक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोट्र उसके पिता श्री नजाकत द्वारा दर्ज करायी गयी थी जिसमें तीन अभियुक्त रामफूल, दीपक व भीम नामजद थे। पुलिस ने आरोप पत्र देते समय गवाह नहीं बनाया है तथा प्रार्थी को ही एक अन्य के साथ अभियुक्त बना दिया है, जबकि नामित अभियुक्तगण को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी, परन्तु न्यायालय के आदेश से तीनों नामजद अभियुक्त पस्थित हो चुके है एवं जमानत करा चुके है। नामित अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में भी तलबी आदेश के विरूद्व याचिका दायर की थी, जो निरस्त हुई थी तथा अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 सं0 15829/2016 भी दायर की गयी थी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी थी। पी0डब्लू0–1 के तौर पर प्रार्थी के पिता श्री नजाकत का बयान दर्ज हो चुका है। प्रार्थी एक मात्र चुटैल गवाह है तथा घटना का चश्मदीद गवाह है तथा शुरू से अन्त तक की घटना के बारे में प्रार्थी ही न्यायालय के समक्ष विस्तारपूर्वक वर्णन कर सकता है। अतः प्रार्थना की गई कि प्रार्थी–अभियुक्त का बयान न्यायालय में गवाह के तौर पर दर्ज कराया जाए।

प्रार्थी–अभियुक्तगण रामफूल सिंह, भीम सिंह व दीपक कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व प्रार्थना पत्र/आपत्ति कागज संख्या 176–ख इस आशय की की गई कि एक ही परीक्षण में अभियुक्त अपने सह–अभियुक्त के विरूद्व गवाह नहीं हो सकता। इस स्तर पर सबूत पक्ष अपने गवाह पेश कर रहा है। अभियुक्त सद्दाम सबूत पक्ष का गवाह नहीं है और न ही वह सबूत पक्ष को स्वयं को गवाह के रूप में परीक्षित कराने हेतु मजबूर कर सकता है। अभी वाद सफाई साक्ष्य के लिए नहीं है। अतः सद्दाम के बयान का प्रश्न ही नहीं होता है। यह बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका सं0 21507/2018 में लम्बित है कि क्या अभियुक्त सददाम एवं प्रार्थीगण

का विचारण संयुक्त रूप से हो सकता है अथवा नहीं। अभियुक्त सददाम संयुक्त विचारण में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण रामफूल सिंह, भीम सिंह व दीपक कुमार के विरूद्व सबूत पक्ष का गवाह नहीं हो सकता। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम के विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण रामफूल सिंह, भीम सिंह, दीपक कुमार के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता नजाकत हुसैन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2015 दिनांकित 18–07–2015 अन्तर्गत धारा 302,307,506 आईपीसी अभियुक्तगण रामफूल सिंह, दीपक कुमार व भीम सिंह के विरूद्व दर्ज करायी गई। पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र सद्दाम पुत्र नजाकत हुसैन व अशोक कुमार सैनी पुत्र लक्ष्मण सिंह सैनी के विरूद्व न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त सद्दाम के विरूद्व धारा–302, 506 आईपीसी तथा अशोक कुमार के विरूद्व धारा–302/34, 307, 506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा वादी नजाकत हुसैन की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 सीआर0पी0सी0 का निस्तारण करते हुए रामफूल, दीपक व भीम सिंह को विचारण के लिए अन्तर्गत धारा–302,307,506 आईपीसी आहूत किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 145–ख इस आशय का दिया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त का बयान न्यायालय में गवाह के तौर पर दर्ज कराया जाए। प्रार्थी–अभियुक्तगण रामफूल सिंह, भीम सिंह व दीपक कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र/आपत्ति ख–176 इस आशय का दिया गया कि वह अभियुक्त सद्दाम के साथ इस केस में सह अभियुक्त हैं। अभियुक्त सद्दाम सबूत पक्ष का गवाह नहीं है और न ही वह सबूत पक्ष को स्वयं को गवाह के रूप में परीक्षित कराने हेतु मजबूर कर सकता है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–1 नजाकत हुसैन का साक्ष्य न्यायालय में दर्ज किया जा चुका है। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के लिए लम्बित है। यह अभियोजन का विशेषाधिकार है कि वह अभियोजन साक्ष्य के लिए किस साक्षी को प्रस्तुत करना चाहता है। अभियुक्त, अभियोजन को किसी विशेष साक्षी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम अभियोजन को अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर अपने आपको गवाह अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए बाध्य नहीं कर

सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–315 में यह प्राविधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरूद्व उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरूद्व लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पत्र साक्ष्य दे सकता है। उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम प्रतिरक्षा में अपना साक्ष्य न्यायालय में दे सकता है। प्रस्तुत पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के लिए लम्बित है और इस स्तर पर प्रार्थी–अभियुक्त अभियोजन को उसे साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण रामफूल सिंह, भीम सिंह व दीपक कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व प्रार्थना पत्र/आपत्ति कागज संख्या 176–ख में यह कथन भी किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका सं0 21507/2018 में लम्बित है कि क्या अभियुक्त सददाम एवं प्रार्थीगण का विचारण संयुक्त रूप से हो सकता है अथवा नहीं। उपरोक्त का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सत्र परीक्षण के विचारण के विरूद्व कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी–अभियुक्त सद्दाम द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र कागज संख्या 145–ख निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र कागज संख्या 145–ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 06–09–2019 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–1, बिजनौर